FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA
O/o Divisional Forest Office (T), Bhiwani
Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक : 220 दिनांक: 07/06/2023

सेवा में

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख् य वन संरक्षक (एफ.सी),
कार्यालय प्रधान मुख् य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक् टर 6,
पंचकुला, हरियाणा |

विषय: **Diversion of 0.1785 ha of forest land for access permission for transportation of Mining area at vill. khanak under Forest Division and District Bhiwani, Haryana. (Online Proposal No.FP/HR/Approach/146575/2021).**

संदर्भ: उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) के कार्यालय का फाइल नम्बर: **9-HRB129/2022-CHA** दिनांक: **May, 2023.**

-.-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) से प्राप्त संदर्भ में अंकित पत्र के सम्बन्ध में निम्नप्रकार से स्पष्ट किया जाता है:-

i) **Query:** The dimensions of the proposed passage from 7.00 mtrs wide road has been proposed 20.5x85 mtrs, whereas in other such cases, the dimensions of such passages (entry/exit) are being considered by the State of Haryana are 6.00 mtrs, hence, revised passage (entry/exit) may be resubmitted accordingly.

Reply: इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त रास्ता खनन का मुख्य रास्ता है तथा इस रास्ते से ही खनन की 24x6 दिन खनन गतिविधि होती है। इस रास्ते से 6 मीटर में गाड़ियों का आवागमन होता है तथा 6 मीटर के रास्ते को गाड़ियों की लम्बी लाईन कवर करके रखती । खनन क्षेत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में जान माल की हानि को रोकने या कम करने के लिए एंबुलेंस तथा प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के लिए शेष 3 मीटर का आपातकालीन रास्ता छोड़ा गया है। इसी कारण 6 मीटर के रास्ते के लिए आवेदन किया गया है। इसमे पूछा कुछ गया है, और जबाब कुछ और भेजा गया है। राज्य सरकार सिर्फ प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त सूचना सीधे भेजने की वजाय, अपनी टिपण्णी, इस कार्यालय से पूछी गई स्पष्टीकरण से संबंध कर भेजे।

इसमे पूछा कुछ गया है, और जबाब कुछ और भेजा गया है। राज्य सरकार सिर्फ प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त सूचना सीधे भेजने की वजाय, अपनी टिपण्णी, इस कार्यालय से पूछी गई स्पष्टीकरण से संबंध कर भेजे।

उपरोक्त बारे स्पष्ट किया जाता है कि आमतौर पर किसी भी प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत केवल 6.00 अथवा 7.00 मीटर के दो रास्तों के बारे ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव से सम्बन्धित भूमि (20.5 x 85 मीटर) की लोक निर्माण विभाग से वन विभाग को स्थानान्तरित होने के उपरान्त वन विभाग के नाम दिनांक 05.01.2022 को मुटेशन दर्ज हुई है। प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा यह भूमि पहले से प्रयोग में लाई जा रही थी। इस भूमि के वन विभाग को स्थानान्तरित होने के उपरान्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत 20.5 x 85 मीटर वन भूमि की गैर वानिकी उद्‌देश्यों के लिए मांग की गई है। लम्बी गाड़ियों के प्रयोग, खनन क्षेत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में जान माल की हानि को रोकने या कम करने के लिए एंबुलेंस के आवागमन तथा प्रशासनिक अधिकारी के निरीक्षण के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा 6.00 अथवा 7.00 मीटर के दो रास्तों के बजाए 20.5 मीटर चौड़े एक रास्ते की मांग की गई है जोकि उचित है।

ii) **Query:** State Government has stated that proposed area comes under Section 4 of PLPA- 1900, whereas in the last para of reply for EDS dated 7.1.2023, it has been stated that the proposed project area does not falls under PLPA.

Reply: प्रस्तावित स्थल पी०एल०पी०ए० 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है जहां बिना सक्षम अधिकारी की

स्वीकृति के पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती है। प्रस्तावित स्थल पर पी०एल०पी०ए० 1900 की धारा 4 व 5 लागू नहीं होती है और इस क्षेत्र में कोई Mining Activity नहीं की गई है। यदि , प्रस्तावित स्थल मे **PLPA 1900** की सामान्य धारा **4** के तहत आता है, तो धारा **4** व **5** लागू कैसे नहीं होती है?

यदि , प्रस्तावित स्थल मे PLPA 1900 की सामान्य धारा 4 के तहत आता है, तो धारा 4 व 5 लागू कैसे नहीं होती है?

उपरोक्त बारे स्पष्ट किया जाता है कि भिवानी जिले का खानक ब्लॉक, जहां पर यह प्रस्तावित भूमि स्थित है, पी.एल.पी.ए. 1900 की सामान्य धारा 4 के अन्तर्गत आता है। पी.एल.पी.ए. 1900 की सामान्य धारा 4 के अन्तर्गत बन्द क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पेडों की कटाई पर प्रतिबन्ध है। पी.एल.पी.ए. 1900 की Specific धारा 4/5 अथवा 4 और 5 में खसरा न0 सहित दर्ज/बन्द भूमियों को ही केवल वन भूमि माना गया है। इस प्रस्ताव में प्रस्तावित 20.5 x 85 मीटर भूमि को लोक निर्माण विभाग से वन विभाग को दिनांक 05.01.2022 को स्थानान्तरित होने के उपरान्त अवर्गीकृत वन भूमि माना गया है जिसके लिए प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

iii) **Query:** This is a violation of FCA, 1980 case, no action has been initiated/taken by the State Government against the concerned official as per the provisions of FCA,1980. Hence, disciplinary action may be initiated against the erring official under FCA, 1980.

Reply: प्रस्ताव में शामिल भूमि अवर्गीकृत वन क्षेत्र है तथा लोक नि र्माण विभाग (भवन तथा मार्ग) शाखा से वन विभाग को स्थानांतरण हुई है और इस भूमि की Mutation दिनांक 05.01.2022 को हुई है। इस भूमि की सही पैमाईश करने पर ही स्थानांतरण हुई वास्तविक भूमि का पता चला है। तदोपरांत ही यूजर एजेंसी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतू लिखा गया और प्रस्ताव में Violation बारे Penal CA की राशि प्रस्ताव में दर्शाई गई है।

इस संबंध मे सूचित किया जाता है, की राज्य सरकार स्पष्ट रूप से बताए की FCA 1980 का उल्लंघन है कि नहीं। यदि उलँघन है, तो Guidelines के अनुच्छेद 1.21 के तहत कार्यवाई की रिपोर्ट (against State Official/User agency) के साथ पूरा विवरण भेजे और 22.3.2022 के पश्चात सभी violation के प्रस्ताव मे MoEFCC HO द्वारा निर्णय लिए जाने है। अतः penal provision MoEFCC HO द्वारा तय किए जाएंगे। तदनुसार, penal CA की राशि हटा कर FCA 1980 का उल्लंघन के बारे मे स्पष्ट सूचना इस कार्यालय को भेजे।

उपरोक्त बारे स्पष्ट किया जाता है कि प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिनांक 05.01.2022 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उपरान्त भी 20.5 x 85 मीटर वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा ऐसा करने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन किया गया है। विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की गाईड लाईन्स के अनुछेद 1.21 के तहत प्रयोक्ता ऐजेन्सी (Sh. Anil Kumar, SDO HSIIDC Stone Mines, Khanak, Haryana) के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए Forest Offence Report जारी की गई है(प्रति सलग्न) तथा इसी तिथि से Penal CA की राशि प्रस्तावित की गई है।

यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है।

07/06/23

वन मण्डल अधिकारी
भिवानी।

पृ0क्र0 दिनांक :

एक प्रति वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल हिसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है ।

वन मण्डल अधिकारी
भिवानी।